मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1341

11.12.2025 को उत्तर के लिए

सीआरजेड मानकों की निगरानी

1341. श्री मयंककुमार नायक :
श्री सामिक भट्टाचार्य :
श्री केसरीदेवसिंह झाला :
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता :
श्री नरहरी अमीन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था परियोजना के लिए सरलीकृत सीआजेड स्वीकृत प्रक्रिया से मैंग्रोव और मूंगे की चट्टानों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवदेनशील क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचे;

(ख) सीआरजेड मानदंडों की कठोर, स्वतंत्र निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (एससीजेडएमए) को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्री कूड़ा नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और वह मछली पकड़ने और पर्यटन से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए तटीय राज्यों के साथ किस प्रकार कार्य कर रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीआरजेड) अधिसूचना 2019 के तहत, सीआरजेड-1 और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में विकास संबंधी सभी कार्यकलापों या परियोजनाओं, जो अधिसूचना के अनुसार विनियमित या अनुमेय हैं, का संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा सीआरजेड मंजूरी के लिए निपटान किया जाता है। सीआरजेड-II और सीआरजेड-III क्षेत्रों में आने वाला विशुद्ध अनुमेय और विनियमित कार्यकलापों को संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सीआरजेड मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। तथापि, सीआरजेड-II और सीआरजेड-III में ऐसी परियोजनाएं जो सीआरजेड-1 या सीआरजेड-IV क्षेत्रों, या दोनों से होकर गुजरती हैं, उन्हें संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रलाय द्वारा विचार किया जाएगा।

सीआरजेड (सीआरज़ेड) की मंजूरी प्रक्रिया, सीआरजेड-I(क) श्रेणी में वर्गीकृत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, जिनमें मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और अन्य महत्वपूर्ण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, की सख्त सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन क्षेत्रों में, कुछ सीमित और विनियमित कार्यकलापों जैसे कि पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं का निर्माण, सार्वजनिक उपयोगिता सड़कों का निर्माण और पाइपलाइन या पारेषण लाइनों का निर्माण को छोड़कर सभी विकास संबंधित गतिविधियाँ निषिद्ध हैं। इसलिए, पात्र ब्लू इकोनॉमी परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, फिर भी मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे संवेदनशील आवासों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

(ख): सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के सीजेडएमए अधिसूचना के प्रवर्तन और निगरानी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। इस कार्य में सहायता के लिए, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र मछुआरा समुदाय सहित स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों के कम से कम थीं प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय समितियों का गठन करेंगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (सीजेडएमए) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के तहत सीआरजेड अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (एससीजेडएमए) को उल्लंघन का पता लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किया जाता है। राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने 26/09/2025 को आयोजित अपनी 48वीं बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सीजेडएमए को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के तहत सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले से ही प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।

(ग): पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), राष्ट्रीय समुद्री कूड़ा नीति के निर्माण के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अपने संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से भारतीय तटों और आस-पास के समुद्रों के साथ समुद्री कूड़े के अस्थाई और स्थानिक वितरण की निगरानी करने और समुद्री कूड़े के वितरण का मानचित्रण करने के लिए कई अध्ययन शुरू किए हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इसके संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और अधिक कूड़ा फैलाने की आशंका वाली कुछ प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश भी दिनांक 16 फरवरी, 2022 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022, के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने स्वच्छ और सतत पर्यावरण विकसित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, मिशन लाइफ और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो प्रदूषण की रोकथाम में योगदान करते हैं।
